सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

कृषकों को देय सुविधाएं

वसुन्धरा राजे
मुख्यमंत्री, राजस्थान

किसान की उन्नति से ही हमारे पूरे प्रदेश की प्रगति संभव है। हमने किसान भाइयों के लिए राज्य में कई महत्त्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। आप सभी उनका फायदा उठायें व परम्परागत खेती के साथ ही खेती के नये तरीकों व तकनीकों को अपनाएं।

हरित क्रांति, पीत क्रांति, श्वेत क्रांति व नीली क्रांति अब तक हो चुकी हैं, अब हमारा सपना राज्य में सदाबहार क्रांति (Evergreen Revolution) लाने का है। इसके लिए हमारी सरकार हर कदम पर किसानों के साथ है।

प्रभुलाल सैनी
कृषि मंत्री, राजस्थान

राज्य के विकास में हमारा मेहनतकश किसान एक अहम कड़ी है। राजस्थान सरकार किसानों के प्रति समर्पित है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई कम पानी, कम लागत, अधिक उत्पादन, उच्च तकनीक, संरक्षित खेती, अधिक मूल्य वाली फसलें उगाना आदि नवाचारों को अपनाएं और आगे बढ़ें।

कृषकों को देय सुविधाएं

राज्य सरकार द्वारा कृषि की उन्नत तकनीक अपनाने व उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। जिनके तहत योजनावार देय सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है। अधिक जानकारी के लिए विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को देखें।

क्र.सं.	गतिविधि/योजना	देय सुविधाएं
1.	**जल प्रबन्धन** 1.डिग्गी निर्माण (RKVY)	कृषक द्वारा न्यूनतम चार लाख लीटर एवं इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी निर्माण करने पर लागत की 50 प्रतिशत राशि रु.350 प्रति घनमीटर भराव क्षमता तथा प्लास्टिक लाईनिंग (कच्ची) डिग्गी पर लागत की 50 प्रतिशत राशि रु.100 प्रति घनमीटर भराव क्षमता अथवा अधिकतम रु.2 लाख जो भी कम हो देय है।
	2.फार्म पौण्ड निर्माण (RKVY)	इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रु.52,500 कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा राशि रु.75000 प्लास्टिक लाइनिंग कार्य के साथ (300 माईक्रोन, बी.आई.एस. मापदण्ड के अनुसार हो) जो भी कम हो देय है।
	3.जल हौज निर्माण (RKVY)	इकाई लागत 50 प्रतिशत या राशि रुपये 350 प्रति घनमीटर भराव क्षमता या अधिकतम रु.75,000 जो भी कम हो देय है।
	4.पाइपलाइन (RKVY/NMOOP/NFSM)	लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रु.50 प्रति मीटर एचडीपीई पाइप या राशि रु.35 प्रति मीटर पीवीसी पाइप या राशि रु.20 प्रति मीटर एच.डी.पी.ई. लेमिनेटेड ले–फ्लेट ट्यूब पाइप या अधिकतम राशि रु.15000 अनुमानित रुप से, जो भी कम हो देय है।
2.	**विस्तार प्रशिक्षण** (RKVY) अन्तः/अन्तर्राज्जीय कृषक भ्रमण	5 से 7 दिवसीय भ्रमण, इसके अन्तर्गत कृषकों को कृषि की उन्नत तकनीक की जानकारी एवं देखकर सीखने के उद्देश्य से भ्रमण करवाया जाता है ताकि उनकी कम खर्च में आय बढ़े एवं कृषि के उन्नत व नवीनतम तरीके अपनायें जा सकें। प्रतिभागियों की संख्या 40–50 प्रगतिशील महिला/पुरुष कृषक।
	कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि (राज्य योजना)	10+2 (सीनियर सैकण्डरी) : रु.5000 प्रति वर्ष। कृषि स्नातक एवं स्नातकोत्तर : रु.12000 प्रति वर्ष। पी.एच.डी : रु.15000 प्रति वर्ष।

3.	वृक्ष जनित तिलहन (TBOs) का पौधारोपण (राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपाम मिशन)	इस मिनी – मिशन ।।। में पौधारोपण हेतु नीम पर प्रति हैक्टेयर रु.17000, जोजोबा पर रु.35000, जेट्रोफा पर रु.41000, करंज पर रु.20,000, महुआ पर रु.15,000 एवं जैतून पर रु.48000 प्रति हैक्टेयर का अनुदान देय है। इस दौरान प्लांटेशन के संरक्षण हेतु नीम, करंज एवं महुआ हेतु दूसरे वर्ष से रु.2000 तथा जाजोबा, जैतून एवं जेट्रोफा हेतु रु.3200 प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष अनुदान देय है। खाद्य फसलों की अन्तरशस्यन हेतु रु.1000 प्रति हैक्टेयर अनुदान देय है।
4.	**गुण नियंत्रण** उर्वरकों की जाँच	राज्य में स्थित उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा कृषकों के द्वारा भेजे गये उर्वरक नमूनों की जाँच निःशुल्क की जाती है।
5.	**फसल बीमा** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	1. बीमित किसान यदि प्राकृतिक आपदा के कारण बुवाई नहीं कर पाता है तो यह जोखिम में शामिल है, उसे दावा राशि मिल सकेगी। 2. ओला, जल भराव, लैण्ड स्लाईड जैसी आपदाओं को भी स्थानीय आपदा माना गया है, सर्वे कर दावा राशि प्रदान की जायेगी। 3. फसल कटने के 14 दिन तक यदि फसल खेत में है, और इस दौरान कोई आपदा आ जाती है, तो किसानों को दावा राशि मिल सकेगी। 4. फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर प्राप्त औसत उपज गारन्टी उपज से कम रहने पर बीमा क्लेम देय है। 5. फसल बीमा योजना ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य तथा गैर ऋणी कृषकों के लिए स्वैच्छिक है। गैर ऋणी कृषक फसल बीमा प्रीमियम एवं घोषणा पत्र इत्यादि बैंक में जमा कराकर योजना में शामिल हो सकता है। 6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ मौसम में 2 प्रतिशत व रबी मौसम में 1.5 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक व उद्यानिकी फसलों हेतु 5 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि रखी गई है।
6.	जिप्सम वितरण कार्यक्रम (अ) क्षारीय भूमि सुधार (RKVY/ NMSA) (ब) पौषक तत्व (NMOOP/ NFSM)	ज़िलेवार निर्धारित प्रति मै. टन दर का 50 प्रतिशत अनुदानित दर पर किसानों को जिप्सम उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत जिप्सम का उपयोग मृदा सुधारक के रूप में मिट्टी की जाँच रिपोर्ट में जिप्सम की आवश्यक मात्रा (जी.आर.वैल्यू) के अनुसार अधिकतम 5 मै. टन प्रति हैक्टेयर प्रति कृषक अधिकतम 2 हैक्टेयर तक अनुदान देय है। कृषकों को पौषक तत्वों के रूप में 250 किलो/हैक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हैक्टेयर हेतु अनुदान देय है।
7.	**मृदा परीक्षण कार्यक्रम** सॉयल हैल्थ कार्ड योजना	1. सिंचित क्षेत्रों में 2.5 है. तथा असिंचित क्षेत्रों में 10 है. इकाई क्षेत्र से एक संयुक्त प्रतिनिधित्व नमूना। 2. एकत्रित नमूनों में मुख्य व सूक्ष्म पोषक तत्वों की जाँच 3. नमूनों की जाँच– विभागी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं एवं आउट सोर्स के माध्यम से कराई जा रही है। 4. सॉयल हैल्थ कार्ड– ऑन लाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कम्प्यूटराईज्ड सॉयल हैल्थ कार्ड किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। 5. मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व, पानी के नमूने की जाँच, क्षारीय एवं लवणीय नमूनों की जाँच, जिप्सम आवश्यकता की मात्रा हेतु जाँच प्रत्येक प्रति नमूना राशि रु.5 में की जाती है।
8.	**परम्परागत कृषि** परम्परागत कृषि विकास योजना (पी. के.वी.वाई.)	▪ योजनान्तर्गत पर्यावरण व उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कृषि में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों में अंधाधुंध प्रयोग को कम करने हेतु जैविक खेती गतिविधियों के लिए सहायता दी जा रही है। योजना कलस्टर (50 एकड़ क्षेत्र) आधारित है। ▪ इसमें जैविक बीज, वर्मीकम्पोस्ट इकाई, रिकार्ड संधारण, नमूना संग्रहण, भूमि में जैविक परिवर्तन, तरल जैव उर्वरक, कृषक LRP प्रशिक्षण, ढ़ेंचा/सनई प्रयोग, वनस्पतिक काढ़ा ईकाई एवं परिवहन सुविधा आदि गतिविधियों हेतु कृषकों को तीन वर्ष की अवधि तक विभिन्न अनुदान सहायता देय है।
9.	**सतत कृषि नेशनल मिशन फोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एन. एम.एस.ए.)** वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)	1. **उद्यानिकी–आधारित कृषि पद्धति**– आदान की लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु.25,000 प्रति हैक्टेयर अनुदान देय है। 2. **पेड़–आधारित कृषि पद्धति**– इस हेतु आदान की लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु.15,000 प्रति हैक्टेयर अनुदान देय है। 3. **पशुपालन–आधारित कृषि पद्धति–गाय/भैंस/डेयरी आधारित पद्धति**– इसके अन्तर्गत पशु की कीमत, पशु हेतु एक वर्ष के लिये कन्संट्रेट की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु.40,000 प्रति हैक्टेयर अनुदान देय है। 4. **बकरी/भेड़/मुर्गी/बतख–आधारित पद्धति**– पशु/मुर्गी की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु.25,000 प्रति हैक्टेयर अनुदान देय है। 5. **सिल्वी पाश्चर–आधारित कृषि पद्धति**– इस हेतु आदान की लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु.15,000 प्रति हैक्टेयर अनुदान देय है।

10.	**मिनीकिट**	राज्य योजना, NFSM एवं NMOOP योजनान्तर्गत निःशुल्क वितरित किये जाते हैं।
11.	**फसल प्रदर्शन**	1. खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल सभी फसलों पर आत्मा योजनान्तर्गत रु.4000 प्रति प्रदर्शन 0.4 हैक्टेयर हेतु सहायता देय है। 2. मूंगफली में रु.7500, सोयाबीन में रु.4500, तिल, अरण्डी, कुसुम एवं राम तिल में रु.3000, सरसों एवं अलसी में रु.3000 तथा सूरजमुखी में रु.4000 प्रति हैक्टेयर NMOOP योजनान्तर्गत सहायता देय है। 3. तिल व अरण्डी में रु.3000 तथा मक्का में रु.5000 प्रति हैक्टेयर RKVY योजनान्तर्गत सहायता देय है। 4. दलहन में रु.7500, मोटा अनाज में रु.5000 एवं वाणिज्यक फसलें (कपास) रु.7000 प्रति हैक्टेयर NFSM योजनान्तर्गत सहायता देय है। 5. गेहूँ में (RKVY/ NFSM / राज्य योजना) में रु.7500 प्रति हैक्टेयर व जौ में (RKVY/ NFSM / राज्य योजना) में रु.5000 प्रति हैक्टेयर तथा ग्वार में (RKVY / राज्य योजना) में रु.7500 प्रति हैक्टेयर सहायता देय है।
12.	**प्रमाणित बीज वितरण**	
	मूंग, उड़द, मोठ, अरहर, चना (NFSM)	दलहन– 15 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रु.2500 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।
	मोटा अनाज बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ (NFSM/ RKVY)	**(अ) किस्में**– दस वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों पर बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रु.1500 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो। **(ब) संकर किस्में**– दस वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों पर बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रु.5000 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।
	गेहूँ (NFSM)	दस वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों पर बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रु.1000 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।
	ग्वार (RKVY)	दस वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रु.1200 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।
	गेहूँ एवं धान (RKVY)	दस वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रु.1000 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।
	तिलहनी फसलें (NMOOP)	**(अ) किस्में**– 15 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज वितरण पर बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या रु.2500 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो। तिल हेतु उक्त अनुदान राशि रु.5000 प्रति क्विंटल देय है। **(ब) संकर किस्में**– 15 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित संकर किस्मों के प्रमाणित बीज वितरण पर बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रु.5000 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।
13.	**पौध संरक्षण**	
	आई.पी.एम. आधारित एफ.एफ.एस. प्रशिक्षण (NMOOP)	30 कृषकों के प्रशिक्षण हेतु रु.26700 सहायता देय है।
	हस्तचलित पौध संरक्षण उपकरण (NMOOP) राज्य योजना/NFSM (दलहन व गेहूँ) हस्तचलित पौध संरक्षण उपकरण	कीमत का 40 से 50 प्रतिशत या अधिकतम रु.600 से रु.800 तक सहायता देय है। कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु.600 प्रति उपकरण सभी श्रेणी के कृषकों के लिए।
	पावर चलित (नेपसेक पावर स्प्रेयर 16 लीटर से कम क्षमता वाले) (NMOOP)	कीमत का 50 से 60 प्रतिशत या अधिकतम रु.3000 से रु.3800 तक सहायता देय है।
	पावर चलित (16 लीटर से अधिक क्षमता) (NMOOP)	कीमत का 40 से 50 प्रतिशत या अधिकतम रु.8000 से रु.10000 तक सहायता देय है।
	सीड ड्रेसिंग ड्रम (NMOOP)	कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु.1750 से रु.2000 तक सहायता देय है।
	फसलों में खरपतवार नाशी व पौध संरक्षण रसायनों पर अनुदान	NMOOP/राज्य योजना/NFSM (गेहूँ/दलहन) योजनान्तर्गत कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु.500 प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो, सहायता देय है।
	ट्रैक्टर माउण्टेड (NFSM/ राज्य योजना)	कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु.10000 प्रति उपकरण।
	गेहूँ एवं दलहनी फसलों में पौध संरक्षण रसायन/बायो एजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड (आई. पी.एम.) पर अनुदान	NFSM योजनान्तर्गत पौध संरक्षण रसायन की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु.500 प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो देय है।

पावर चलित (पावर स्प्रेयर कम डस्टर/बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर)	राज्य योजना/NFSM(गेहूँ/दलहन) योजनान्तर्गत कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु.3000 प्रति उपकरण सहायता देय है।

क्र.स.	योजना/गतिविधि	NFSM	SMAM / NMOOP		
14.	**यंत्रीकरण (ट्रैक्टर/पावर ऑपरेटेड यंत्र)**	**सभी श्रेणी के कृषक**	**हॉर्सपावर रेन्ज**	**SC/ ST/लघु/ सीमान्त व महिला कृषक**	**सामान्य कृषक**
	सीड ड्रिल/ सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु.15,000 जो भी कम हो	20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000 से रु.44,000 जो भी कम हो *	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000 से रु.35,000 जो भी कम हो *
	डिस्क प्लो/ डिस्क हैरो	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु.15,000 जो भी कम हो	20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000 से रु.44,000 जो भी कम हो *	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000 से रु.35,000 जो भी कम हो *
	रोटोवेटर	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु.35,000 जो भी कम हो	20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 35,000 से रु.63,000 जो भी कम हो *	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 28,000 से रु.50,000 जो भी कम हो *
	मल्टी क्रॉप थ्रेसर	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु.40,000 जो भी कम हो	20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 20,000 से रु.63,000 जो भी कम हो *	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 16,000 से रु.50,000 जो भी कम हो *
	ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर (NMOOP से स्वीकृत नही)	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु.30,000 जो भी कम हो	20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000 से रु.44,000 जो भी कम हो *	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000 से रु.35,000 जो भी कम हो *
	रिज फरों प्लांटर	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु.15,000 जो भी कम हो	20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000 से रु.63,000 जो भी कम हो *	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000 से रु.50,000 जो भी कम हो *
	मल्टी क्रॉप प्लांटर	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु.15,000 जो भी कम हो	20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000 से रु.63,000 जो भी कम हो *	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000 से रु.50,000 जो भी कम हो *
	चिजलर/ चिजलर प्लो (NMOOP से स्वीकृत नहीं)	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु.8,000 जो भी कम हो	20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. की क्षमता तक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 8,000 से रु.10,000 जो भी कम हो *	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 6,000 से रु.8,000 जो भी कम हो *

*** – उपरोक्त वर्णित कृषि यंत्रों पर अधिकतम अनुदान की सीमा उनके ट्रैक्टर/पावर टिलर/शक्ति चलित यंत्र की बी.एच.पी. क्षमता पर आधारित है।**

नोट–

1. एन.एम.ओ.ओ.पी. योजनान्तर्गत शक्ति/ट्रैक्टर चलित यंत्रों में ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर एवं चिजलर/चिजलर प्लो सम्मिलित नहीं है।
2. अन्य सभी कृषि यंत्रों पर अनुदान सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के प्रावधानों के अनुरूप देय होगा।

15. कृषकों को पुरस्कार (आत्मा योजना/राज्य योजना)

- राज्य स्तरीय (2 कृषक) रु.50,000, ज़िला स्तरीय (64 कृषक) रु.25,000, पंचायत समिति स्तरीय (524 कृषक) रु.10,000 एवं जैविक खेती पुरस्कार (3 कृषक) रु.1,00,000 प्रति कृषक पुरस्कार देय है।

कृषि सेवाएं आपके द्वार

राजस्थान स्टेट पोर्टल www.rajasthan.gov.in

स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे (एस.एस.डी.जी.) ssdg.rajasthan.gov.in

- कृषि विभाग द्वारा आमजन एवं कृषकों के हित में राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना (NeGP-A) के तहत निम्नांकित सेवाओं हेतु SSDG पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन ही स्वीकार किये जाते हैं:– फार्म पौण्ड, डिग्गी, जल हौज, पाईप लाईन, फव्वारा एवं कृषि यंत्रों के आवेदन, नवीन अनुज्ञा पत्र एवं नवीनीकरण आवेदन एवं कृषि संकाय में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति के लिये आवेदन।
  - आवेदन पर हुई कार्यवाही की प्रगति की जानकारी भी स्टेट पोर्टल से ऑनलाईन प्राप्त की जा सकती है।
  - एस.एस.डी.जी. पोर्टल नागरिकों/ई–मित्र/सी.एस.सी./राजकीय उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।
  - आवेदक एस.एस.डी.जी. पोर्टल द्वारा निर्धारित शुल्क ऑनलाईन भुगतान कर ई–प्रपत्र भर कर एवं सहायक दस्तावेजों को अपलोड/जमा करा सकते हैं।
  - अनुदान पात्रता के लिए कृषक के स्वयं के नाम भूमि (जमाबंदी) की नकल, फोटो, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार/भामाशाह कार्ड, बिल की प्रति आदि विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें।

ग्राम
9-11 नवम्बर 2016
जयपुर

उन्नत किसान
ख़ुशहाल राजस्थान

कृषि निदेशालय, राजस्थान
पंत कृषि भवन, जनपथ, सी–स्कीम, जयपुर 302 005
T: +91 141 2227089 | krishi.rajasthan.gov.in
ज़्यादा जानकारी के लिए **1800 180 1551** पर सम्पर्क करें